काउन्सल ऑफ़ यूरोप सम्मेलन का विरुद्ध अभियान मानवीय अवैध सौदागिरी

पीड़ितों के अधिकारों पर

COUNCIL OF EUROPE
CONSEIL DE L'EUROPE

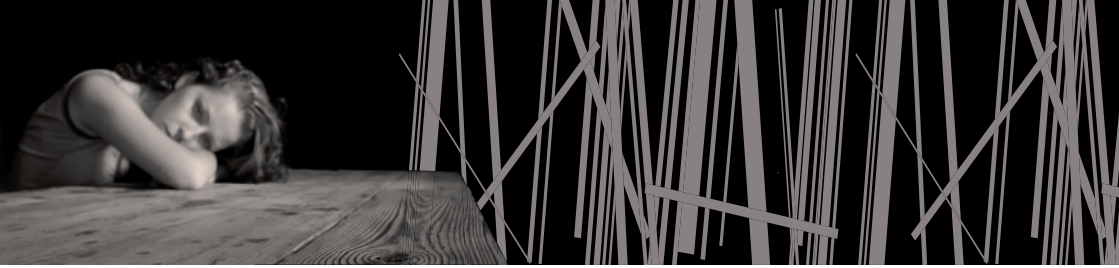

अवैध सौदागिरी मानवीय अधिकारों का हनन् करती है तथा यूरोप और इसके पार अनगिनत लोगों के जीवन को प्रभावित करती है । एक बढ़ती संख्या में महिलाओं, पुरूषों और बच्चों का माल की तरह सौदा किया जा रहा है, सीमाओं पर या अपने देश में, और ये शोषण और कुप्रथा में अटक हुए हैं ।

काउन्सल ऑफ़ यूरोप सम्मेलन में सम्मेलन विरूदध् मानवीय अवैध सौदागिरी पर जो 1 फ़रवरी 2008 में लागू हुआ, का उद्देशय है:

- मनुष्यों में अवैध सौदागिरी को रोकना
- अवैध सौदागिरी से पीड़ितों की रक्षा करना
- अवैध सौदागरों पर मुक़दमा चलाना
- राष्ट्रीय कार्य एवं अंतरराष्ट्रीय सहयोग पर समन्वय बढ़ाना

सम्मेलन लागू होता है:

- हर प्रकार की अवैध सौदागिरी पर, चाहे राष्ट्रीय या पार देशी, चाहे किसी
- संगठित अपराध से संबद्ध हो या नहीं,
- अवैध सौदागिरी के सभी पीड़ितों (महिलाओं, पुरूषों और बच्चों) पर,
- सभी प्रकार के शोषण (यौन, बाध्य श्रम या सेवाऐं, गुलामी, पारधीनता, अंगो का आपादान, आदि) ।

इस सम्मेलन का अधिक महत्व मानवीय अधिकारों और पीड़ितों की रक्षा पर ध्यान केंद्रित करना है । सम्मेलन अवैध सौदागिरी को मानवीय अधिकारों के हनन् और मानव प्रतिष्ठा और अखंडता के प्रति अपराध के रूप में परिभाषित करता है । इसका अर्थ हुआ कि राष्ट्रीय अधिकारियों को तब जिम्मेदार ठहराया जाएगा यदि उन्होंने अवैध सौदागिरी के विरूद्ध कारवाई नहीं की, पीड़ितों की रक्षा नहीं की और प्रभावशाली ढंग से अवैध सौदागिरी के मुक़दमों की जाँच नहीं की ।

अवैध सौदागिरी एक विशवव्यापी तथ्य है जो सीमाओं से परे है, इसीलिए सम्मेलन विशव भर के देशों के लिए प्रासंगिक है और सबों के लिए खुला है ।

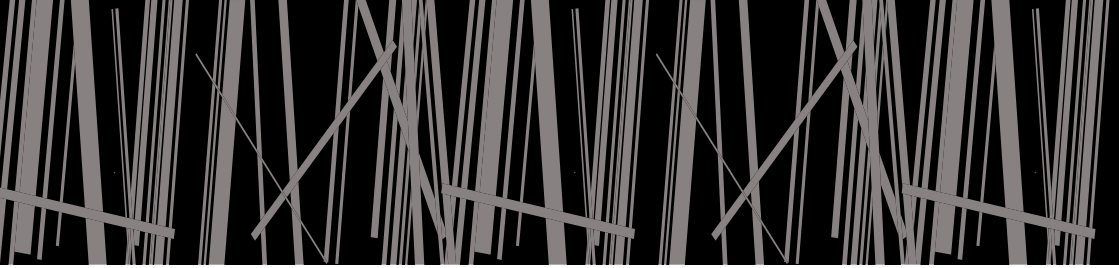

मानवीय अवैध सौदागिरी क्या है?

सम्मेलन मानवीय अवैध सौदागिरी को तीन तत्वों के समन्वय पर परिभाषित करता है:

- एक **कार्य**: व्यक्तियों का नियोजन, परिवहन, स्थानांतरण, आश्रय या प्राप्ति
- कुछ अनिवार्य **उपायों** के उपयोग: धमकी या बल प्रयोग कर या अन्य प्रकार की ज़बर्दस्ती, अपहरण, छल, धोखा, सत्ता या असंवेदनशील पद का दुरूपयोग, भुगतान का लेना-देना या एक व्यक्ति का दूसरे को वश में करने पर लाभ पाना
- **शोषण के सोद्देश्य से**: कम से कम, दूसरों की वेशयावृति का शोषण, या अन्य किसी किस्म का यौन शोषण, बाध्य श्रम या सेवाऐं, गुलामी या गुलामी से मिलती जुलती प्रथाऐं, पराधीनता या अंगों का निष्कासन ।

मानव अवैध सौदागिरी और मानव तस्करी में क्या भेद है?

जहाँ मानव तस्करी का लक्ष्य सीमा पार अनैतिक वहन करना है, जिससे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक वित्तीय लाभ हो, वहीं अवैध सौदागिरी का उद्देशय शोषण है । इसके अतिरिक्त, मानवीय अवैध सौदागिरी में निशचित रूप से सीमा पार करना निहित नहीं है, यह एक देश के अंदर भी हो सकता है ।

मानवीय अवैध सौदागिरी के शकिार कौन हैं?

- कोई भी अवैध सौदागिरी का शिकार हो सकता है - महिलाऐं, पुरूष और बच्चे, हर आयु के लोग और हर सामाजिक स्तर से । जो लोग मानवीय अवैध सौदागिरी का शिकार होते हैं, उन्हें, उदाहरण के लिए जबरन यौन सेवाऐं प्रदान करनी पड़ती हैं, बहुत कम या नहीं के बराबर पैसों के लिए काम करना पड़ता है, या अंगों का निष्कासन करवाना पड़ता है । शोषण अक्सर पीड़ितों और उनके संबंधियों की शारिरिक और भावात्मक हिंसा और धमकी से जुड़ा होता है ।

- सम्मेलन के अनुसार अवैध सौदागिरी का शिकार वह व्यक्ति है जिसका शोषण के उदेशय से रंगरूट हुआ हो, एक जगह से दूसरी जगह लाया-गया हो, स्थानांतरण हुआ हो, एक देश या उसकी सीमा के पार शरण दी गई हो या अगवानी हुई हो और यह सब धमकी, जबरदस्ती, छल-कपट, दबाव या अनैतिक तरीके से हुआ हो ।

- एक बच्चे को इस पर ध्यान दिए बिना मानव अवैध सौदागिरी का शिकार माना जाता है, कि उसे रंगरूट करने, एक जगह से दूसरी जगह लाने-जाने, बदली करने, या शोषण के उद्देशय से शरण देने या अगवानी करने के लिए कोई भी **उपायों** को अपनाया गया हो ।

- व्यक्ति की शोषण के प्रति सहमति असंगत होती है जब कोई भी **उपायों** (छल-कपट, धोखा, पद की संवेदनशीलता का दुरूपयोग आदि) का उपयोग किया गया हो । इसके अतिरिक्त शोषण न होने पर भी, जब एक व्यक्ति को किसी भी एक **कार्यों** के किसी एक **उपायों** से अधीन किया गया हो तो उसे पीड़ित व्यक्ति माना जाऐगा ।

सम्मेलन के अंतर्गत पीड़ितों के अधिकार क्या हैं?

पहचान

अवैध सौदागिरी के पीड़ितों की औपचारिक रूप से पहचान उसी रूप में होनी चाहिए ताकि उनको अनियमित प्रवासियों या अपराधों जैसे व्यवहार से बचाया जा सके । पहचान विशेषकर प्रशिक्षित पेशेवरों (पुलिस अधिकारियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, श्रम निरीक्षकों, चिकित्सकों, सहायता प्रबंधकों आदि) द्वारा की जाती है, जो सम्मत प्रक्रियाओं और पहचान के मापदंड का अनुकरण करते हैं ।

प्रतिलाभ और ध्यान का समय

इसके पहले कि पीड़ितों की औपचारिक रूप से पहचान उसी रूप में हो उनको अधिकार है न्यूनतम 30 दिनों के प्रतिलाभ का, अवैध सौदागिरी के प्रभाव से बचने और अधिकारियों के साथ मिलकर अवैध सौदागिरी के अपराध की जाँच में सहयोग देने का । इस अवधि के दौरान उनको देश से निकाला नहीं जा सकता और प्रवास अनियमित होने पर भी वे सहायता के हकदार होते हैं ।

सहायता

इस पर ध्यान दिए बिना कि पीड़ित अपराधिक जाँच में सहयोग देने या गवाह के रूप में राजी हैं या नहीं उनको हक हक है:

- उपयुक्त और सुरक्षित आवास का,
- मनोवैज्ञानिक सहायता की,
- सामान से मदद की,
- आपातकालीन चिकित्सा उपचार के अभिगमन की,
- अनुवाद एवं निर्वचन सेवाओं की,
- परामर्श एवं जानकारी की,
- अपराधिक कार्यवाही के दौरान सहायता की,
- यदि देश में विधिवत निवास हो तब श्रमिक बाज़ार, व्यवसायिक प्रशिक्षण
- और शिक्षा की ।

कानूनी सहायता

अवैध सौदागिरी के पीड़ितों को अपने अधिकार और संबद्ध प्रक्रिया से जुड़ी सूचना उस भाषा में पाने का हक है जिसे वो समझते हैं । उनको विशेष परिस्थितियों में न्यायिक सहयोग का भी अधिकार है ।

आवास परमिट

पीड़ितों को पुन: आवास परमिट निर्गमित किया जा सकता है यदि उनकी व्यक्तिगत परिस्थिति की ऐसी माँग हो तो या फिर उनका उस देश में रहना आवशयक हो ताकि वे अधिकारियों से अवैध सौदागिरी संबंधी अपराध की जाँच में सहयोग दे सकें । आवास परमिट का अंतरण उनके शरण की माँग में हस्तक्षेप नहीं करता है ।

व्यक्तिगत जीवन और पहचान की सुरक्षा

पीड़ितों की व्यक्तिगत सूचना सार्वजनिक नहीं की जा सकती और केवल विशेष कानूनी उद्देशयों के लिए ही संचित की जाती है । इसके उपयोग की अनुमति उनकी पहचान करने के लिए कतई नहीं दी जा सकती ।

जाँच और अदालत की कार्यवाही के दौरान सुरक्षा

आवशयकतानुसार पीड़ितों और उनके परिवारों को अवैध सौदागिरी के संभावित प्रतिकार या अभित्रास से संक्षरण दिया जाएगा । इसमें शामिल है शारिरिक सुरक्षा, पुन: स्थानांतरण, बदली हुई पहचान और नौकरी मिलने में सहायता शामिल है ।

मुआवज़ा

अवैध सौदागिरी के हाथों नुकसान का भुगतान होने पर पीड़ितों को आर्थिक मुआवज़े का हक होता है । यह भुगतान या तो अदालत, या फिर उस सरकार से मिलता है, जहाँ उनका शोषण हुआ हो ।

देश प्रत्यावरण और वापसी

पीड़ितों की उनके मूल देश में वापसी उनके अधिकारों, सुरक्षा और गरिमा और किसी भी संबंधित न्यायिक जाँच को ध्यान में रखकर की जानी चाहिए । वापसी के बाद, उनको एकीकरण सहयोग प्रदान किया जाना चाहिए जैसे शिक्षा और नौकरी पाने में मदद ।

पीड़ित बच्चों के विशेष अधिकार क्या हैं?

उपर्युक्त अधिकारों के अतिरिक्त जो सभी पीड़ितों पर लागू होते हैं, बच्चों को निम्नलिखित अधिकारों से लाभ हो सकता है:

- बेसंगत बच्चों के लिए एक वैधिक संरक्षक की नियुक्ती की जो उनका प्रतिनिधित्व कर उनके सर्वश्रेष्ठ हित में काम करे;
- बच्चों की पहचान और नागरिकता को स्थापित करने के लिए, और यदि उनके हित में हो, तो उनके परिवारों का पता लगाने के लिए कदम उठाए जाते हैं;
- जब पीड़ित की आयु अनिशचित हो, लेकिन यह मानने का औचित्य आधार हो कि पीड़ित 18 वर्ष से कम है, तो उसे बच्चा माना जाता है और उसकी आयु प्रमाणित होने तक विशेष सुरक्षा जाती है;
- बच्चों को उनकी आवशयकतानुसार शिक्षा और सहायता साधनों का अधिकार है;
- देश प्रत्यावर्तन के पहले एक जोखिम और सुरक्षा का मूल्यांकन किया जाता है, जो तभी होता है जब यह बच्चों के सर्वाधिक हित में होता है;
- बच्चे जाँच और अदालत की कार्यवाही के दौरन विशेष सुरक्षा साधनों से लाभान्वित होते हैं ।

सम्मेलन परिपालन पर निगरानी

उन सभी देशों पर ग्रुप ऑफ़ एक्स्पर्टस् ऑन ऐक्शन अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स् (GRETA) लगातार निगरानी रखता है जिन्होंने काउन्सल ऑफ़ यूरोप सम्मेलन पर हस्ताक्षर किया है । GRETA की भूमिका है सम्मेलन के प्रबंधनों को प्रभवशाली ढंग से आशवस्त करना और पीड़ितों के अधिकारों का आदर करना ।

GRETA देश-दर-देश आधार पर, रिपोर्ट तैयार करता है जो अच्छे अभ्यासों और कमियों को स्पष्ट करते हुए संस्तुतियाँ देता है कि किस प्रकार प्रत्येक देश में सम्मेलन पूर्ति को सुधारा जा सके । रिपोर्टों और संस्तुतिओं को सार्वजनिक किया जाता है जो काउन्सल ऑफ़ यूरोप की ऐंटी- ट्रैफिकिंग वेबसाइट पर प्रकाशित होती है ।

संपर्क और अधकि सूचना के लिए

SSecretariat of the Council of Europe Convention on Action against Trafficking
in Human Beings (GRETA and Committee of the Parties)
Council of Europe
F-67075 Strasbourg Cedex
France
E-mail: Trafficking@coe.int
www.coe.int/trafficking

THB–INF (2013)2

PREMS 155015 – HINDI – © Conseil de l'Europe – Photographies © Shutterstock